



प्रेस नोट

दिनांक 14.12.2025

थाना चिकासी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तारा

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.12.2025 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा ग्राम बरौली खरका से अमित पुत्र पन्नालाल राजपूत व आकाश पुत्र वीरसिंह को एक अदद तमंचा 315 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2025 धारा 3/25 आम्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को मात्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विवरण अभियुक्तगण-

1-अमित पुत्र पन्नालाल राजपूत (उम्र 23 वर्ष) निवासी परा थाना राठ जनपद हमीरपुर।

2-आकाश पुत्र वीरसिंह (उम्र 23 वर्ष) निवासी ग्राम गहरौली थाना मुस्करा जनपद।

अमित पुत्र पन्नालाल राजपूत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0-620/2022 थाना राठ

2- मु0अ0स0-139/2023 थाना राठ

3- मु0अ0स0-249/2024 थाना मुस्करा

आकाश पुत्र वीरसिंह का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स-0673/22 थाना राठ

2-मु0अ0स-184/23 थाना जरिया

3-मु0अ0स-214/23 थाना केतवाली नगर

4-मु0अ0स-67/23 थाना मुस्करा

5-मु0अ0स-249/24 थाना मुस्करा

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उनिं0 सूर्यभान सिंह

2.का0 अभिषेक तिवारी

3.का0 शिवम यादव

